

फर्द अहकाम

आरकड अधिकारी जयशंकर (14/12/19)

बाबूलाल बनाम लाल

संख्या/वर्ष

180/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
21/12	<p>पत्रावली पेश हुई वकील उमप पक्ष उपरि प्राप्प आदेश 1 निपम 10 पर उमप पक्ष को कह सुनी गई वह सुनने व पत्रावली का उत्तर देना करने पर प्राप्प 01/10/19 को स्वीकार किया जाता है वकील जजरी ने संबोधित आवाज पेश किया जो दायर है पत्रावली दिनांक 22/01/2019 को पेश हो। <u>एप</u></p>	
22/12	<p>पत्रावली पेश हुई वकील उमप पक्ष उपरि जजरी 19 को उतर है एक प्राप्प आदेश 1 निपम 10/20 पेश किया। जिस पर वकील जजरी ने जवाब न देकर सीधे कह की सुनी उमप पक्ष को कह सुनने व पत्रावली का उत्तर देना करने पर प्राप्प 01/10/19 को स्वीकार किया जाता है तथा जजरी स 2 वा 18 का नाम हजफ किया जाता है जजरी वकील ने संबोधित आवाज पेश किया जो दायर है पत्रावली दिनांक 23/12/19 को पेश हो। <u>एप</u></p>	
23/12	<p>पत्रावली पेश हुई वकील उमप पक्ष उपरि मूल जजरी पर को स्वीकार किया गया है तथा पत्रावली को दफ्तर दायर किया गया है। <u>एप</u></p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारनागद

सकूल बनाम सकूल

मुकदमा संख्या/वर्ष

10 / 20 19

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>क्यों कि प्रमाण प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रमाण प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है पक्षी फेरल शुभार होकर नम्बर से कम हो जाय कर्तव्य वारिष्ठ शपथ हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जमवारनागद</p>